दिनांक–21.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के नालंदा जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।
3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालंदा जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से एक का भी ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक– 24.09.2026 तक सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2015–16 की 07, 2018–19 की 01 एवं 2019–20 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी दिनांक– 24.09.2026 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, 12वॉ वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता में 12.05 करोड़ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग में 7.5 करोड़ रूपये की UC तैयार है। निदेश दिया गया कि Pre CFMS Period का 25 करोड़ की UC दिनांक– 24.09.2026 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने जिले में कैम्प आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0

(ख) Post CFMS Period में कुल 288.91 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता एवं एम0एन0वाई0 (प्रशासनिक व्यय) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 4938 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1152 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 665 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1268 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 1223 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 33 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 37 मामलों के विरूद्ध 24 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जॉंच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 06 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 100 एवं 91 Aspiration के विरूद्ध 83 एवं 90 का निष्पादन किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 133 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 130 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। हरनौत प्रखंड में 01 तथा नूरसराय प्रखंड में 02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडों के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 130 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 01 में बैंक, 130 में RTPS केन्द्र, 129 में विद्युत कनेक्शन, 48 में डाकघर, 00 में NOFN एवं 41 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 133 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 91 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 32 PSB के विरूद्ध 21 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। एकंगरसराय प्रखंड के एकंगरडीह पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर, रहुई प्रखंड के दोसूत पंचायत एवं राजगीर प्रखंड के नहूब पंचायत में प्रथम तल

लगातार.....

लिंटर स्तर का ही कार्य किया गया है। 08 पंचायतों में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। राजगीर प्रखंड के BPRO द्वारा बताया गया कि नहूब पंचायत का नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हो जाने के कारण PSB का निर्माण कार्य अवरूद्ध है। निदेश दिया गया कि उक्त स्थल पर पंचायती राज विभाग से संबंधित Assests एवं Liabilities की सूची तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 05 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 03 का निराकरण हुआ है। बिहारशरीफ प्रखंड के कौरई पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Stay लगाया गया है। नूरसराय प्रखंड के ममुराबाद पंचायत में स्थानीय न्यायालय में Title Suit दायर है। अस्थावां प्रखंड के नोआवॉ एवं बिहारशरीफ प्रखंड के पचौड़ी पंचायत में समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 23 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध 17 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा 16 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। नगरनौसा प्रखंड में TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। 12 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु मात्र 07 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। साथ ही जिन पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 230 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 24 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 24 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 24 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से सभी में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी

है परंतु मात्र 10 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

X. मुक्तिधाम, शवदाह—गृह, मृत्यु प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थितिः—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 127 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा—निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से पंचायत समिति में 06 एवं ग्राम पंचायत में 22 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा—निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः—

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः—

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	11.05%
02	पंचायत समिति	36.21%
03	ग्राम पंचायत	52.81%

नगरनौसा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) यह भी पाया गया है कि नूरसराय, इस्लामपुर, हिलसा एवं चंडी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में क्रमशः 6.14, 6.25, 4.43 एवं 2.96 करोड़ रूपये की Opening+Receipts के विरूद्ध 18.68, 23.40, 13.28 एवं 12.35 करोड़ रूपये की Total Liabilities है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

लगातार.....

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1171 के विरूद्ध 62, पंचायत समिति में 1596 के विरूद्ध 619 एवं ग्राम पंचायत में 10042 के विरूद्ध 2905 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) 15 लाख से उपर जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत में 01–01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. नगरनौसा प्रखंड के BPRO ने बताया गया कि उनके एवं तकनीकी सहायक द्वारा हाल ही में प्रभार ग्रहण किया गया है। निदेश दिया गया कि समीक्षा कर व्यय में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
2. DPRO नूरसराय, इस्लामपुर, हिलसा एवं चंडी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. षष्ठ्म राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत है:–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	05.97%
पंचायत समिति	32.57%
ग्राम पंचायत	31.66%

जिला परिषद एवं नगरनौसा, गिरियक, अस्थावां, नूरसराय एवं बिंद प्रखंडों के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) राजगीर प्रखंड में 04, अस्थावां, चंडी एवं एकंगरसराय प्रखंडो में 03–03, इस्लामपुर एवं नगरनौसा प्रखंडों में 02–02, बिहारशरीफ, हरनौत, हिलसा, परबलपुर एवं सिलाव प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।

लगातार.....

अस्थावां प्रखंड के पंचायतो के पास 20–30 लाख रूपये की राशि शेष होने के उपरांत भी इस वित्तीय वर्ष में 03 पंचायतो में शून्य राशि व्यय की गयी है। पृच्छा करने पर BPRO द्वारा असंतोषजनक उत्तर दिया गया।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 552 के विरूद्ध 02, पंचायत समिति में 792 के विरूद्ध 59 एवं ग्राम पंचायत में 3802 के विरूद्ध मात्र 349 योजना ही पूर्ण की गयी है। नगरनौसा, सरमेरा, कराय परसुराय एवं हिलसा प्रखंडो मे पोर्टल पर एक भी योजना पूर्ण नहीं की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80–85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. DDC जिला परिषद में व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर प्रगति लाना सुनिशिचित करें। साथ ही नगरनौसा, गिरियक, अस्थावां, नूरसराय एवं बिंद प्रखंडो के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

   DPRO को निदेश दिया गया कि अस्थावां के BPRO से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया जाए।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए। नगरनौसा, सरमेरा, कराय परसुराय एवं हिलसा प्रखंडो के BPRO से DPRO कारण–पृच्छा करें।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक नालंदा जिले में सभी लक्षित लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 62 एवं 35 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Bill Submit करने के उपरांत भी कुल 20 प्रखंडो के विरूद्ध 13 प्रखंडो में शून्य राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही हरनौत प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडो में भुगतान काफी कम किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

लगातार...........

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 24 मामलो के विरूद्ध 22 का निष्पादन हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 18.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 95% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से इस्लामपुर प्रखंड में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एकरारनामा की शर्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा इस्लामपुर प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियो द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा–निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

लगातार............

XVI. लंबित न्यायिक वाद :–

नालंदा जिले में 02 MJC एवं 14 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVIII. विधान सभा/परिषद–

नालंदा जिले में कुल 07 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XIX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। नालंदा जिले में भी 47 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24/9/

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 13717 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 25/9 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नालंदा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

लगातार.....

13717

ज्ञापांकः—14प० / कार्यवाही—02—02 / 2026 /13717/ पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026

प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

13717

ज्ञापांकः—14प० / कार्यवाही—02—02 / 2026 /13717/ पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026

प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी